आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 10/2018–2019

कैसर इमाम एवं अन्य वनाम् आशिक इमाम एवं अन्य

आदेश

11/1/19 यह दाखिल खारिज अपीलवाद कैसर इमाम, सौकत इमाम एवं लाड़ली इमाम तीनों पिता–स्व० सहादत खान, ग्राम–मोथा, पोस्ट–अरवल, थाना–अरवल, जिला–अरवल द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या–958/98–99 में दिनांक 06.02.1998 को पारित आदेश अंचल अधिकारी, अरवल के आदेश के विरूद्व दायर किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	ग्राम	थाना	अंचल
09	292	$31\frac{1}{4}$ डी०	मौथा	अरवल	अरवल

अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टि की गई। उतरवादी को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उतरवारी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) उतरवादी अपने पिता के मरने के वाद वर्ष 1998 में जाली पंचनामा दिनांक 13.11.1977 को बनाया है उसे 21 वर्ष मृत मुंशी रजा खॉ के नाम विवादित भूमि का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दिया गया जो उतरवादी द्वारा स्वीकार किया है कि वर्ष 1998 में मेरे पिता मुंशी रजा खॉ की मृत्यु हो गयी थी।

(2) उतरावादीगण के पिता मंशी रजा खॉ तथा सहादत खॉ अपीलार्थीगण के पिता ने दिनांक 13.11.1977 के पंचनामा पर अंगुठा का निशान किया गया है जो कि अपीलार्थीगण एवं उतरवादीगण के पिता पढ़े लिखे थे और हस्ताक्षर करते थे। उतरवादी द्वारा स्वीकार किया है कि मेरे पिता पढ़े लिखे थे और हस्ताक्षर करते थे।

(3) अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा डिमाण्डाधारी एवं आम जनता को सूचना निर्गत हुआ जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में निर्गत सूचना पर केवल उतरवादी के पुत्र अहमद इमाम खॉ सूचना प्राप्त किये है वह भी वास्ते खिजु खॉ अपने दादा के बदले में तथा वो सूचना किसी को नही दिया गया जिस सूचना पर अहमद खॉ द्वारा प्राप्त किया गया उस पर किसी अनुसेवी का हस्ताक्षर नही है जो दाखिल खारीज प्रावधान के विरूद्व है।

(4) विवादित भूमि पर आधा–आधा अंश पर जानिब पुरब तरफ अपीलार्थीण तथा पश्चिम तरफ

उतरवादीगण का कब्जा है जो वर्तमान में अपने–अपने हिस्से पर धान का फसल लगाया गया है।

(5) अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा दिनांक 06.02.1998 के आदेश में नोटिस का तामिला प्राप्त है जो असत्य है नोटिस मृत मंशी रजा खॉ के नाम निर्गत है तथा नोटिस प्राप्त करने वाले उतरवादी अहमद इमाम खॉ है जो अपने दादा खिजु खॉ के बदले प्राप्त किये है। दाखिल खारीज प्रकिया का कोई अनुपालन नही किया गया है एवं विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 958/98–99 में दिनांक 06.02.1998 को पारित आदेश को खारीज करने का अनुरोध अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि उतरवादीगण एवं प्रतिवादीगण की खतियानी भूमि है जो खिजु खान के नाम पर दर्ज है।

(2) अपीलार्थीगण के पिता एवं उतरवादीगण के पिता द्वारा अपने पिता के जीवन काल में चल और अचल सम्पति का बॉटवारा ग्रमीण पंचों द्वारा दिनांक 13.11.1977 में पंचायती निर्णय किया कि पिता के खोरिस में डेढ़ विगहा जमीन गॉव के पुरब निकाल दिया गया। माता एवं पिता के कथनानुसार मुंशी रजा खॉ को 10 कटठा जमीन ज्यादा दिया गया। शेष जमीन में दोंनों भाई आधा–आधा हिस्सा का फैसला दिया गया एवं माता–पिता का खोरिस का जमीन इनलोगों के मरने के वाद आधा–आधा बॉट लेगें।

(3) पिता के मृत्यु के वाद दोंनों भाई आधा–आधा हिस्से बॉटकर शांति पूर्वक दखल कब्जा में चले आ रहे है।

(4) उतरवादी नं०–03 (लाड़ली इमाम) द्वारा खाता संख्या–09, प्लॉट संख्या–936 रकवा–01 डी० भूमि श्री कृष्णा यादव, पिता–स्व० भगवत यादव द्वारा दिनांक 04.09.2014 को वसीका संख्या–3884 के माध्यम से विकी किया गया। इसके अलावे पॉच केवाला भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को अपीलार्थीगण द्वारा विकी किया गया जो वसीका में शहादत इमाम के मृत्यु के वाद तीनों भाई आपस में खानगी वो ड्योढ़बंदी से बॉट लिये जो बॉटकर समसोईया हाजा खास हिस्सा में मिला है।

(5) अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद 20 वर्षो वाद लाई गई है जो लिम्टेशन एक्ट की धारा 05 के अनुसार काल बाधित है।

(6) पंचों द्वारा भूमि को चिन्हित कर दिया गया जिसमें खाता संख्या–09, प्लॉट संख्या–292, रकवा–$3\frac{1}{4}$ डी० जमीन मुंशी रजा खॉ को दिया गया एवं उसी समय से उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल चले आ रहे है एवं राजस्व का भुगतान कर रहे है।

(7) अपीलार्थीगण द्वारा भूमि की बढ़ते कीमत को देखते हुए 20 वर्षो बाद यह अपील वाद लाया

गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा पारित आदेश विल्कुल वैध है और अपीलवाद खारीज होने योग्य है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन तथ्य स्थलीय जॉच किया। मेरे द्वारा दिनांक 13.10.2019 को उभय पक्षों एवं ग्रामीणों तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में दोंनों पक्ष प्रश्नगत् भूमि पर सम्मिलित रूप से खेती करते थे किन्तु इधर 2–3 वर्षो से विवाद हो गया है। पंचनामा में उल्लेखित पंचों में से रामप्रसाद सिंह, वालधारी सिंह एवं राम नारायण सिंह से भी प्रस्ताव दिया गया। उक्त तीनों व्यक्ति काफी वृद्व हो चुके है। उक्त तीनों ने बताया कि उनके द्वारा सहादत खॉ एवं मुंशी रजा खॉ के बॅटवारों में पंचायती की गयी थी तथा माता–पिता के इच्छा से चूँकि छोटे भाई सहादत खॉ नौकरी में थे इसलिए बड़े भाई मुंशी रजा खॉ को 10 कटटा ज्यादा भूमि दी गयी थी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, अरवल दाखिल खारिज वाद संख्या–958/98–99 में दाखिल खारिज हेतु अहमद इमाम द्वारा आवेदन किया गया परन्तु नोटिस मुंशी रजा खॉ के नाम से निर्गत किया गया सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत नही किया गया। नोटिस तामिला अहमद खॉ, हैदर खॉ एवं संशु खॉ द्वारा तामिला किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा स्थल जॉच नही किया गया तथा अभिलेख में सुना नही गया। इस प्रकार इन बिन्दुओं पर नियमों का यथोचित पालन नही किया गया है किन्तु यह भी ज्ञात होता है कि पूर्व में मुंशी रजा खॉ एवं सहादत खॉ दोंनों के पिता–खिजू खॉ के बीच सहमति से स्थनीय पंचों द्वारा बॅटवारा किया गया था। उक्त बॅटवारे पर वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा प्रश्न उठाये जा रहे है। इस कारण इस वाद का विषय पक्षकारों के बीच हिस्सा विवाद एवं बॅटवारा से सम्बंधित है जो कि सक्षम व्यवहार न्यायालय के अधिकारिता का विषय है। यह भी की वादी द्वारा यह अपील वाद दाखिल खारिज वाद संख्या–958/98–99 में आदेश पारित होने के लगभग 20 वर्षो बाद लाया गया है। इस कारण अधोहस्ताक्षरी को दाखिल खारिज वाद संख्या–958/98–99 में अंचल अधिकारी, अरवल के पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही होती है। वादी हिस्से के प्रश्न पर सक्षम व्यवहार न्यायालय में बॅटवारा वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11/12/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

11/12/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।